'XTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 966—969

Dated 26-8-2006

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 206.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (ट्रेड्समैन समूह 'ग' और नामांकित अनुचर समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (ट्रेड्समैन समूह 'ग' और नामांकित अनुचर समूह 'घ' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल (ट्रेड्समैन समूह 'ग' और नामांकित अनुचर समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में,

(i) कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ 5 में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"चयन पद है अथवा अचयन पद"

(ii) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"3. नामांकित अनुचर (खोजी)	35*(2006) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' (पोषक) अचयन, अराजपत्रित	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुरुष अभ्यर्थी 20 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के कार्मिकों की बाबत शिथिल की जा सकती है)। (आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)	(11)
(क) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण । (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में अनुचरों की भर्ती के लिए स्कीम के अनुसार ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा

(12)	(13)	(14)
आमेलन द्वारा सीमा सुरक्षा बल के सेवारत ऐसे नामांकित अनुचर जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन विहित की गई अर्हताएं हैं ।	**समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे–** (1) कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल –अध्यक्ष (2) उप कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल –सदस्य (3) वैट्रिनरी सहायक सर्जन, सीमा सुरक्षा बल –सदस्य (4) एक निरीक्षक या उप निरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल (जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाए) । –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने से छूट ।"

[फा. सं. 17/88/2004–वै./सीसुबल]

मनोज अग्रवाल, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण :–मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 418, तारीख 18 अक्तूबर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2006

G.S.R. 206.—In exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force (Tradesman Group 'C' and Enrolled Followers Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Tradesman Group 'C' and Enrolled Followers Group 'D' posts) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Border Security Force (Tradesman Group 'C' and Enrolled Followers Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2000,—

(i) against serial number 1 relating to the post of Constable (Tradesmen), in column (5), for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Whether selection post or non-selection post";

(ii) after serial number 2, and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3. Enrolled Follower (Khoji).	35*(2006) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'D' (Combatised Non-Ministerial Non-Gazetted)	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Male candidates between 20 and 25 years. (Relaxable in respect of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes communities and other special categories of persons inaccordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). (The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(a) 8th Class Pass (b) As per the Scheme for recruitment of Followers in Central Para Military Forces introduced by the Central Government.	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment failing which by absorption	**By absorption :** Serving Enrolled Followers of Border Security Force having educational and other qualifications prescribed for the post under column (8).

(13)	(14)
Group 'D' Departmental Promotion Committee (for selection/confirmation) consisting of :— (1) Commandant, Border Security Force —Chairman (2) Deputy Commandant, Border Security Force —Member (3) Veterinary Assistant Surgeon Border Security Force —Member (4) One Inspector or Sub-Inspector, Border Security Force (As may be nominated by Chairman). —Member	Exempted from consultation with Union Public Service Commission."

[F. No. 17/88/2004-Pers/BSF]

MANOJ AGGARWAL, Director (Personnel)

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 418 dated the 18th October, 2000.

MGIPRRND—2563 HA/2006—500 Copies